कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़, रायपुर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रिक्त पदों की भर्ती

विज्ञापन

क्रं. /वि–2/स्था./2012 रायपुर, दिनांक / /2012

छत्तीसगढ़ शासन, कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़, रायपुर के **खाद्य सुरक्षा अधिकारी** के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा निर्धारित ओ. एम.आर. आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है–

रिक्तियों का विवरण :–

सीधी भरती से भरे जाने वाले उपर्युक्त पदों की संख्या का विवरण – 38

क्र.	विवरण	कुल रिक्त पदों की संख्या	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या (30%)	कुल रिक्तियों में से विकलांग आवेदकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या (6%)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिक आवेदकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या (10%)
1	2	3	4	5	6
(अ)	**अनारक्षित** पदों की संख्या	17	05	01	02
(ब)	**अनुसूचित जाति** के लिए आरक्षित पदों की संख्या	04	01	-	-
(स)	**अनुसूचित जनजाति** के लिए आरक्षित पदों की संख्या	12	04	01	01
(द)	**अन्य पिछड़ वर्ग** के लिए आरक्षित पदों की संख्या	05	02	-	01
	कुल योग	**38**	**12**	**02**	**04**

पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है ।

महत्वपूर्ण –

(1) उक्त पदों पर की जानी वाली नियुक्तियां छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3, रायपुर दिनांक 16/03/2012 के तारतम्य में माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ द्वारा रिट पिटीशन (सी) 591/2012, रिट पिटीशन (सी) 592/2012, रिट पिटीशन (सी) 593/2012, या रिट पिटीशन (सी) 594/2012, में पारित होने वाले आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी एवं माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है ।

(2) खाद्य सुरक्षा अधिकारी का पद अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कार्यपालिक का है ।

(3) विकलांगता के प्रकार में अस्थिबाधित–विकलांगता 40% होना चाहिए ।

(4) खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्ति, चयनित अभ्यर्थियों के, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी संस्थान के अधीन 3 माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर ही दी जायेगी ।

खण्ड – अ

1. आवेदन पत्र डाकघर से प्राप्त करने की तिथि –

   (अ) 08.10.2012 से 19.10.2012 तक सभी जिला मुख्यालय के डाकघरों से।

   (ब) 20.10.2012 से 23.10.2012 तक केवल संभागीय मुख्यालय, रायपुर, बिलासपुर, अम्बिकापुर और जगदलपुर के प्रधान/मुख्य डाकघर से।

2. आवेदन पत्र डाकघर में जमा करने की अंतिम तिथि – 25.10.2012

3. परीक्षा तिथि– **18-11-2012, SUNDAY**

4 वेतनमान – 5200–20200– ग्रेड वेतन रू. 2800/–

5 न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :–

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में डिग्री या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या मेडिसिन में डिग्री या
2. केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य/मान्यता प्राप्त अर्हता तथा
3. खाद्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट किसी संस्था या संस्थान के अधीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो । परंतु इन नियमों के अधीन ऐसे व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायेगा जिसका खाद्य की किसी वस्तु के विनिर्माण, आयात या बिक्री से कोई वित्तीय हित हो ।

टीप :–

(i) चयनित अभ्यर्थियों के पास यदि उपरोक्त अनुक्रम 3 में दिया गया प्रशिक्षण प्रमाण पत्र न हो तो उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकरी के पद पर उसी दशा में नियुक्ति दी जायेगी जब वह खाद्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए यथा निर्दिष्ट किसी संस्था या संस्थान के अधीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें ।

(ii) खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मात्र उपरोक्त दर्शित शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को ही अधिसूचित किया जायेगा ।

6. आयु सीमा :– दिनांक 01.01.2013 को 21 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिये । (छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों के लिए 35 वर्ष एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के आवेदकों के लिए समय–समय पर ग्राह्य की गई अधिकतम आयु सीमा) विवरण विभाग की वेबसाइट www.fdachhattisgarh.in में देखा जा सकता है ।

7. **नियम एवं शर्ते :–**

1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है ।
2. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो–
   (अ) पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है । अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है ।
   (ब) जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाया जाए ।
   (स) जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे ।
3. आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे । चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी ।

8. **नियुक्ति हेतु चयन विधि –**

i. उपरोक्त पदों पर चयन हेतु एक लिखित परीक्षा छ.ग. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित की जावेगी । लिखित परीक्षा के अंको के आधार पर अंतिम मेरिट निर्धारित की जायेगी ।

ii. योग्य उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर एवं आवश्यकता होने पर साक्षात्कार से विभागीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा । अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जॉच (सत्यापन) का कार्य नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, रायपुर द्वारा नियुक्ति के समय कराया जायेगा । प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उम्मीदवारी/परीक्षा परिणाम/चयन निरस्त किया जा सकेगा ।

iii. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा राजनैतिक दबाव डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है, तो उसका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा ।

iv. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा । अंतिम रूप से नियुक्ति रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता अन्य आवश्यक प्रक्रिया/प्रशिक्षण/मापदंडो पर निर्भर करेगी ।

v. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक होगी उन्हें वरीयता प्रदान की जावेगी ।

vi. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़, रायपुर को होगा ।

vii. चयनित उम्मीदवारों को पुलिस व्हेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही सेवा में लिया जायेगा, तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उममीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन छत्तीसगढ़ राज्य के जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति से किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा ।

viii. यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए उपरोक्तानुसार आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित (**Carry Forward**) नहीं किये जायेंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिसे प्रवर्ग के लिए आरक्षित है ।

ix. निःशक्त जन और भूतपूर्व सैनिक के पद के विरूद्ध सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर को छोड़कर) में से जिस श्रेणी के आवेदक होगा उसे हॉरिजेण्टल आरक्षण के कारण उस श्रेणी के अंतर्गत माना जायेगा ।

x. यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है ।

xi. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी एवं चयनित उम्मीदवारों को विभाग द्वारा समय–समय पर आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

खण्ड – ब

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर के निर्देश

1. आवेदन पत्र क्रय करते समय आपको निम्न सामग्री उपलब्ध कराई जावेगी :–
   01. आवेदन पत्र क्रय करने की रसीद ।
   02. ओ.एम.आर. आवेदन पत्र (लिफाफे के अंदर)
   03. भरा हुआ ओ.एम.आर. आवेदन पत्र (नमूनार्थ) ।

2. परीक्षा शुल्क :–

(अ) अनारक्षित **वर्ग एवं** अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु – 700/– रू.
(ब) अ.ज.जा. एवं अ.जा. वर्ग हेतु – 500/– रू.

3. आवेदन पत्र जमा करना :– भरा हुआ ओ.एम.आर. आवेदन पत्र का लिफाफा जिला मुख्यालय के प्रधान/मुख्य डाकघर में बिना डाक शुल्क के 25.10.2012 तक जमा किया जा सकेगा । जमा करने पर डाकघर द्वारा पावती दी जावेगी । लिफाफे में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी दस्तावेज न रखें ।

4. आवेदन पत्र भरने संबंधी आवश्यक निर्देश :–

1. ओ.एम.आर. आवेदन पत्र को भलीभांति पढ़ लेवें, पश्चात् सावधानीपूर्वक वांछित जानकारी भरें । ध्यान रहे कि ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि या कांटछांट न हो ।
2. यदि ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में किसी चौखाने में भरी जानकारी एवं उससे संबंधित गोले में भरी गई जानकारी में अंतर पाया जाता है तो गोले में भरी गई जानकारी अंतिम माना जावेगा ।
3. परीक्षा संपन्न होने के उपरांत ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में दी गई जानकारी को बदलने के संबंध में किसी भी प्रकार के पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जावेगा । आवेदक ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के निर्दिष्ट स्थान पर स्वयं के नाम एवं फोटो लेने के तारीख सहित रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटो चिपकाएं । फोटो पर हस्ताक्षर न किया जाए ।

विशेषः– भरे हुए ओ.एम.आर. आवेदन पत्र भेजने के पूर्व उसकी फोटो कापी अपने पास सुरक्षित रखें ।

5. परीक्षा केन्द्र :–

रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर एवं अम्बिकापुर में परीक्षा केन्द्र होंगे । तद्नुसार परीक्षार्थी किसी एक शहर का चयन कर सम्बंधित कोड नंबर पर गोला लगावें ।

परीक्षा पद्धति :– कुल 150 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा । प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसके चार विकल्प में से एक विकल्प सही होगा, सही विकल्प पर उत्तर शीट में नीचे नीले/काले डाट पेंन से गोला लगाना होगा ।

पाठ्यक्रम :– पाठ्यक्रम एवं अन्य विवरण व्यापम की वेबसाइट cgvyapam.choice.gov.in पर उपलब्ध होगा ।

6. मुल्यांकन पद्धति :–

प्रत्येक प्रश्न पत्र का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक एवं गलत अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर शून्य अंक दिये जायेगे । परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किए जाएंगे उनके लिए भी शून्य अंक दिये जायेंगे । ऋणात्मक अंक नहीं दिये जाएंगे ।

7. परीक्षा परिणाम :–

परीक्षा में उन सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जावेगा, जो परीक्षा आवेदन पत्र जमा करेंगे तथा परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की प्रवीण्य सूची के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जावेगा । व्यापम द्वारा आवेदन पत्र की स्क्रूटनी नहीं की जाती है । आप इस परीक्षा हेतु निर्धरित योग्यता रखते हैं यह आपकी जवाबदारी है । वांछित सभी प्रमाण–पत्र संबंधित विभाग के समक्ष/नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना होगा ।

8. त्रुटिपूर्ण प्रश्न, उसका निरस्तीकरण एवं बदले में देय अंक –

परीक्षा उपरांत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विषय विशेषज्ञों से प्रत्येक प्रश्न का विश्लेषण कर मॉडल उत्तर तैयार किया जाता है । विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न के त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर निरस्त कर दिया जाता है।

निम्नलिखित कारणों से प्रश्न निरस्त किए जा सकते हैः–

1. प्रश्न की संरचना गलत हो,
2. उत्तर के रूप में दिये गये विकल्पों में एक से अधिक विकल्प सही हो,

3. कोई भी विकल्प सही न हो,
4. एक भी उत्तर सही या स्पष्ट न हो,
5. कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हो, जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो ।

विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार ऐसे निरस्त किए गए प्रश्नों के लिये सभी अम्यार्थियों को उस प्रश्न पत्र में उनके द्वारा अर्जित अंकों के अनुपात में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल बोनस अंक प्रदान करता है । भले ही उसने निरस्त किए गए प्रश्नों को हल किया हो या नहीं ।

मूल्यांकन, पद्धति निम्नानुसार होगी :– यदि 150 प्रश्नों के प्रश्न पत्र में दो प्रश्न निरस्त किय जाते हैं और मूल्यांकन के बाद अभ्यार्थी के 85 उत्तर सही पाए जाते है तो बोनस अंक सहित उसके कुल प्राप्त अंको की गणना इस प्रकार होगी –

$$\frac{\text{परीक्षार्थी के सही उत्तरों की संख्या} \times \text{कुल प्रश्न}}{\text{कुल प्रश्न} - \text{निरस्त प्रश्न}} = \frac{85 \times 150}{150-2} = 86.148$$

इसी आधार पर मेरिट निर्धारित होगी ।

9. पुनर्गणना/पुनर्मुल्यांकन :–

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उत्तर शीट का मूल्यांकन कम्प्यूटर द्वारा ओ.एम.आर. पद्धति से किया जाता है । अतः इस परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जावेगा ।

10. प्रवेश पत्र (Admit Card) :–

(क) समय सीमा के अंदर प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अभ्यार्थियों को परीक्षा के लगभग 10 दिवस के पूर्व परीक्षा प्रवेश पत्र (Test Admit Card) डाक द्वारा प्रेषित करेगा । इसमें अभ्यर्थी की महत्वपूर्ण जानकारी यथा अभ्यर्थी का स्केन्ड फोटासग्राफ, परीक्षा केन्द्र का नाम, रोल नम्बर, श्रेणी आदि अंकित की जावेगी । अभ्यर्थी इसकी भली–भांति जांच कर लें । यदि परीक्षा प्रवेश पत्र में अंकित जानकारी त्रुटिपूर्ण हो तो वह त्रुटि सुधार हेतु तुरंत छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर के कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक संशोधन करा लेवें । परीक्षा पश्चात् किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावेगा । चाहे वह त्रुटि व्यापम कार्यालय स्तर पर ही क्यों न हुई हो।

(ख) छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल परीक्षा के लिए जारी प्रवेश पत्र वापस लेने, रद्द करने अथवा संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(ग) अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में परीक्षा प्रवेश पत्र के बिना प्रवेश नहीं दिया जावेगा ।

(घ) अलटरनेट परीक्षा प्रवेश पत्र – छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षा प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाईट **cgvyapam.choice.gov.in** अथवा **www.cgvyapam.gov.in** पर परीक्षा के तीन दिन पूर्व जारी कर दिया जावेगा । वे

अभ्यर्थी जिनको डाक द्वारा परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त न हो व्यापम की बेबसाईट में अलटरनेट परीक्षा प्रवेश का पिंट आउट प्राप्त कर सकते है । इंटरनेट से प्राप्त परीक्षा प्रवेश पत्र में रंगीन फोटोग्राफ (नाम तथा दिनांक प्लेट सहित) चिपकाएं तथा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए संबंधित केन्द्राध्यक्ष से प्रवेश पत्र में चिपकाए गए फोटो का प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है।

यदि किसी अभ्यर्थी को व्यापम द्वारा भेजा गया परीक्षा प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होता है और न ही व्यापम की वेबसाईट पर उसे जानकारी उपलब्ध होती है तो अभ्यर्थी स्वयं के दो पासपोर्ट साईज के रंगीन फोटाग्राफ (नाम और दिनांक प्लेट सहित) आवेदन क्रय करने की रसीद, डाकघर में आवेदन पत्र जमा करने की रसीद तथा ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की फोटोकापी के साथ परीक्षा शहर के परीक्षा समन्वय केन्द्र (लीड कॉलेज) पर जाकर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र बनवाकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते है। इस हेतु तथा अन्य पत्राचार हेतु परीक्षा आवेदन फार्म को भेजने से पूर्व उसकी छायाप्रति अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें ।

नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
छत्तीसगढ़ रायपुर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा –2012
पाठ्यक्रम

परीक्षा पद्धति –

परीक्षा का समय 2.00 घंटे का होगा । प्रश्न पत्र मुख्यतः दो भागों में होगा । भाग 'अ' सामान्य ज्ञान तथा भाग 'ब' विज्ञान पर आधारित होगा । प्रत्येक भाग में 75 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे । दोनों भागों में पूछे जाने वाले प्रश्न निम्नानुसार विषयों पर आधारित होंगे –

भाग –'अ'

सामान्य ज्ञान – **(कुल अंक 75)**

इस भाग में स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान समसामयिक घटनाओं, भारतीय राजनीति तथा भारत का संविधान, कृषि से संबंधित जानकारी, वाणिज्य, स्वास्थ्य, पंचायती राज, नगरीय निकाय, सामाजिक– सांस्कृतिक इतिहास, इकोलॉजी, पर्यावरण, भारत का अर्थ शास्त्र, भूगोल विशेषतः छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पूछे जा सकेंगे। इस भाग में स्थिर एवं वर्तमान सामान्य ज्ञान जिसमें वैज्ञानिक खोजों एवं अन्वेषणों को शामिल किया गया हो, से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकेंगे।

भाग 'ब'

विज्ञान पर आधारित– **(कुल अंक 75)**

इस भाग में विज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे जायेंगे जो भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान विषय के सी.बी.एस.ई./राज्य बोर्ड/भारत के स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा स्तर के होंगे । इसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पत्ति शास्त्र, जन्तु विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान सहित, प्रौद्योगिकी एवं कृषि विज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे । खाद्य एवं आहार विज्ञान से संबंधित प्रश्न भी पूछे जायेंगे । अभ्यर्थियों से खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कानूनो के ज्ञान के साथ ही साथ जल, वायु, पर्यावरण, उपभोक्ता संरक्षण एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित ज्ञान भी अपेक्षित होगा ।

FOOD SAFETY OFFICERS EXAMINATION 2012
SYLLABUS

SCHEME OF EXAMINATION-

The examination will be of two hours duration with two segments namely Part A General Awareness and Part B Science Based, consisting of 75 Questions each of objective multiple choice pattern, Broad contour of these two parts are given here in under :-

PART "A"

General Awareness **(Total Marks 75)**

This part will have questions on current affairs of Local National and international importance, Indian polity and Constitution of India, issues related to agricultural commerce, health, panchayati raj, institution, urban local bodies, socio-cultural history, ecology, environment, economic, geography of India with special reference to the state of Chhattisgarh. This segment will have questions from static and current general knowledge in including scientific discoveries and inventions.

PART "B"

Science Based **(Total Marks 75)**

Science Based questions may be asked from physical science and biological sciences of Higher Secondary standard of Central, Board of Secondary Education/State Board/ India School Certificate exam. Questions from Physics, Chemistry, Botany, Zoology with basic Micro Biology, basic Bio technology. Agricultural sciences may be asked in the part. Questions may be asked from food and nutrition science, candidates are also advised to have basic knowledge of various laws related to food safety, GM food, water, air, environment, consumer protection and essential commodities.

.....